

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.03.2017 द्वारा सूची क्रमांक 05 पर अंकित निम्नांकित कार्मिक का एसीपी आदेश, मय नोट" क्रसं. 05 पर अंकित कार्मिक को नगद लाभ दि० 01.07.2013 से देय होगा।", निम्नानुसार जारी किया गया था :-

क्र स	नाम व्या. मय विषय एवं पदस्थापन स्थानसर्वश्री/सुश्री/ श्रीमती	जन्म तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृ त एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृ त ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चांदमल जाट, व्याख्याता अंग्रेजी, पण्डेर, भीलवाड़ा	05.03. 1963	आरपी एससी	02.07. 1990	I 10 वर्षीय	9300-34800	4800	13.02. 2007

### नोट-

उक्त आदेश में अंकित नोट में संशोधन कर कार्मिक को नगद लाभ दि० 01.07.2013 से देय होगा के स्थान पर कार्मिक को दिनांक 01.09.2006 से प्रभावी नवीन वेतनमान, 2008 में वेतन निर्धारण अनुसार एसीपी एरीयर दिनांक 13.02.2007 से एवं चतुर्थ संशोधन अनुसार दिनांक 01.01.2006 से वेतन निर्धारण उपरान्त एसीपी का लाभ दिनांक 01.07.2013 से देय है, पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक :- 22-3-2018

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/2015-16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-I/II), को भेज कर लेख है कि
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर